

- : : आदेश : : -

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मौजा जायल के खेत खसरा नंबर 3092/1507, 3093/1507, 1514 की भूमि का मुताबिक राजीनामा एवं सहमति के रसीदार किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी गोरधनराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1514 रकबा 0.1214 हैक्टेयर में से 1/2 रकबा 0.0807 हैक्टेयर पूर्वी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 3/2, 3/3 कमश दिनेश, मुकेश के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1514 रकबा 0.1214 हैक्टेयर में से 1/2 रकबा 0.0807 हैक्टेयर पश्चिमी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 6 व 7 रामकैलाश एवं रामरतन के हक बंट कब्जा काश्त सहखातेदारी में मौजा जायल का खेत खसरा संख्या 3092/1507 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3093/1507 रकबा 0.1781 हैक्टेयर रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3/4 से 3/6, 5, 8 से 12 के हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये इन प्रतिवादीगणों का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20/9/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी सरे इजलास सुनाया गया।



20/9/2021
(रवींद्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

प्राम
द
...
रत
सथ
व के
र का
दरामद

प्रक्टर
(गौर)